27 403

(34)

अनुलग्नक–(ग)

बिहार सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

अधिसूचना 1340

पटना, दिनांक 25/8/08

संख्या–11 / नि0 2–13 / 91 (अंश) भारत के संविधान की अनुच्छेद 243 ब सपठित बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 की धारा 45,47, (4) एवं 419 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल, बिहार नगर निकाय–माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2006 (अधिसूचना संख्या 1227 दिनांक 11.07.2006) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :–

(i) यह नियमावली बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त्ते) (संशोधन) नियमावली, 2008 कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(iii) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली 2006 के नियम 3 का संशोधन ।

(1) उक्त नियमावली के नियम 3 के खंड (i) में प्रयुक्त शब्द "राजकीयकृत" के बाद शब्द" / प्रोजेक्ट विद्यालय " जोड़े जायेगें।

(2) उक्त नियमावली के नियम 3 में खंड (XII) के बाद निम्नलिखित नया खंड (XIII) जोड़ा जायेगा।

"(xiii) "पुस्तकालयाध्यक्ष" से अभिप्रेत है–वैसा पुस्तकालयाध्यक्ष जो इस नियमावली के अधीन पुस्तकालय की व्यवस्था एवं पुस्तकों के रख रखाव हेतु नियोजित किया गया हो।"

3. **उक्त नियमावली, 2006 के नियम 4 में संशोधन उक्त नियमावली के नियम 4 के उपनियम (क) के खंड (vi) के बाद निम्नलिखित नया खंड (vii) जोड़ा जायेगा :–**

"(vii) नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति :–

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक की डिग्री हो । अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अत्यंत पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग के लिए न्यूनतम अपेक्षित अंक में पाँच प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

(ख) राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय द्वारा दी गयी पुस्तकालय विज्ञान के स्नातक की डिग्री।"

4. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 4 में संशोधन।

उक्त नियमावली के नियम 4 का (ग) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

''(ग) आयु :– जिस वर्ष नियोजन किया जा रहा हो उस वर्ष के पहली अगस्त को उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा वहीं होगी जो राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाय। विकलांग उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट दी जायेगी।

E:\General\Niyamawali..doc28

परन्तु शिक्षक की प्रशिक्षित श्रेणी के नियोजन के प्रथम नियोजन एवं द्वितीय नियोजन में अधिकतम उम्र सीमा क्षान्त रहेगी।''

5. उक्त नियमावली 2006 के नियम 6 में संशोधन :–

उक्त नियमावली के नियम 6 के खंड (vi) में वाक्य "उपरोक्त में अगर कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नहीं हो तो "जिला कल्याण पदाधिकारी समिति के अतिरिक्त सदस्य होंगे" को वाक्य "उपर्युक्त में अगर कोई अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नहीं हो तो जिला पदाधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी पदाधिकारी को नामित करेंगे" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

6. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 8 में संशोधन।

(1) उक्त नियमावली के नियम 8 के उप नियम (ii) के बाद निम्नलिखित एक नया उप नियम जोड़ा जायेगा:–

"(iii) (क) पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति नियत वेतन पर की जाएगी।

(ख) नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक पुस्तकालयाध्क्ष के लिए नियत वेतन की राशि प्रति माह 6,000.00 रूपये होगी।

(ग) प्रत्येक तीन वर्ष पर नियोजन कलावधि के पूर्ण होने पर मूल्यांकन के आधार पर उनके मूल नियत वेतन में रूपये 600.00 की वृद्धि की जायेगी।"

(2) नियम 8 के उपनियम (iii), (iv), (v) एवं (vi) क्रमशः उपनियम (iv), (v), (vi) एवं (vii) के रूप में पुनर्संख्याकित समझे जायेंगे।

7. उक्त नियमावली 2006 के 12 का संशोधन ।

उक्त नियमावली का नियम 12 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

''12 छुट्टी :– (1) नगर माध्यमिक एवं नगर उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक को पंचाग वर्ष में 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश तथा 20 दिनों का चिकित्सा अवकाश चिकित्सा प्रमाण–पत्र के आधार पर देय होगा, जिसे देने की शक्ति विद्यालय के प्रधानाध्यापक की होगी। परन्तु आकस्मिक अवकाश एक साथ 12 दिनों से अधिक नहीं दिया जा सकेगा। महिला शिक्षकाओं को 135 दिनों का मातृकावकाश भी प्रधानाध्यापक द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। मातृकावकाश का लाभ मात्र दो संतानों के लिए ही अनुमान्य होगा।

(2) उपर्युक्त अवकाश के अतिरिक्त प्रधानाध्यापक की अनुशंसा पर विशेष कारणवश पंचांग वर्ष में 30 दिनों की अवधि के लिए अवैतनिक अवकाश देय होगा। अवैतनिक अवकाश महापौर, नगर निगम अध्यक्ष, नगर परिषद्/नगर पंचायत द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। तत्पश्चात अनुपस्थित रहने पर इस अवधि की सेवा टूट मानी जायेगी तथा वेतन देय नहीं होगा। 3 माह तक बिना पर्याप्त कारण के लगातार अनुपस्थित रहने की स्थिति में महापौर, नगर निगम अध्यक्ष, नगर परिषद्/नगर पंचायत द्वारा स्पष्टीकरण के उपरान्त नियोजन समिति के समक्ष प्रस्ताव उपस्थापित कर उन्हें सेवा से हटाने की कार्रवाई की जायेगी।''

75 401

(32)

8. अपील :– उक्त नियमावली, 2006 के नियम 15 का प्रतिस्थापन :– उक्त नियमावली, 2006 का नियत 15 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

"इस नियमावली के अधीन नियोजन संबंधी शिकायत मामलों में निर्णय लेने की शक्ति नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत के मामले में जिला स्तर पर सरकार द्वारा एक या एक से अधिक सदस्यों की गठित अपीलीय प्राधिकार को होगी। मानव संसाधन विकास विभाग के द्वारा प्राधिकार की स्थापना एवं सेवा शर्त्तों का निर्धारण किया जायेगा। अपीलीय प्राधिकार का गठन सेवानिवृत बिहार न्यायायिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों एवं शिक्षाविदों से किया जायेगा।"

9. उक्त नियमावली, 2006 की अनुसूची I एवं III विलोपित की जायगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

25/8/08

(अंजनी कुमार सिंह)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक : 11 नि 2–13/91 (अंश–I) 1340 पटना, दिनांक : 25/8/08 /

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे अगले असाधारण गजट में प्रकाशित करें तथा 3000 (तीन हजार) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराई जाये।

25/8/08

प्रधान सचिव

ज्ञापांक : 11 नि 2–13/91 (अंश–I) 1340 पटना, दिनांक : 25/8/08 /

प्रतिलिपि :– सभी विभागीय आयुक्त/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी अवर प्रमण्डल शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/8/08

प्रधान सचिव